# न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्र0श्रेणी अतरौली जिला अलीगढ़

**वाद संख्या– 16/2013 अंतर्गत धारा–143 ज0वि0एवं0भू0व्यअधिनियम**
**मौजा–हरदोई परगना व तहसील अतरौली जिला–अलीगढ़**
**श्री सुरेशचन्द शर्मा पुत्र श्री कुमरसैन शर्मा, हरदोई, अलीगढ़ बनाम सरकार**

## आदेश

प्रस्तुत वाद प्रार्थी सुरेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुमरसैन शर्मा, निवासी हरदोई तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ के प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2013 पर तहसीलदार अतरौली से प्राप्त जॉच आख्या दिनांक 07.07.2013 के आधार पर योजित हुआ है। संक्षेप में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी सुरेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुमरसैन शर्मा, हरदोई (अलीगढ़) का प्रबन्ध है और प्रार्थी ने गाटा संख्या 531 रकवा 1. 983 हैक्टे0 में से रकवा 0.810 हैक्टे0 तथा उक्त भूमि अब खेती के उपयोग में नहीं लायी जा रही है अतः प्रार्थी द्वारा उक्त को ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 की धारा 143 के अंतर्गत अकृषिक घोषियों किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उक्त प्रकरण की जॉच तहसीलदार अतरौली से करायी गयी। तहसीलदार अतरौली द्वारा ज0वि0 एवं भू0व्य0 नियमावली के नियम 135 के निर्धारित प्रारूप सहित क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की जॉच आख्या पर दिनांक 07.07.2013 को आख्या प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि ग्राम हरदोई के गाटा संख्या 531 रकवा 1.983 हैक्टे0 तथा भूमि मौके पर खाली है और अकृषिक भूमि है तथा मौके पर अकृषिक प्रयोजन में आ रही है। अतः तहसीलदार अतरौली द्वारा उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है तथा उक्त भूमि के मौके पर लिये गये फोटो चित्र भी प्रस्तुत किये गये हैं।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य एवं तहसीलदार अतरौली की जॉच आख्या का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि उपरोक्त वर्णित सुरेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुमरसैन शर्मा, हरदोई (अलीगढ़) का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर भूअभिलेखों में अभिलिखित है। तहसील आख्यानुसार वर्तमान में उक्त भूमि पर मौके पर कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा मौके पर अकृषिक प्रयोजन में आ रही है, इस तथ्य की पुष्टि तहसीलदार अतरौली द्वारा अपनी आख्या के साथ प्रस्तुत फोटोचित्र जो पत्रावली पर उपलब्ध से होती है। ऐसी दशा में तहसीलदार अतरौली की आख्या से सहमत होते हुए उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाना समुचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार अतरौली की जॉच आख्या के आधार पर प्रार्थी सुरेशचन्द्र शर्मा पुत्र श्री कुमरसैन शर्मा, हरदोई, अलीगढ भूमि स्थित मौजा हरदोई परगना व तहसील अतरौली के खाता संख्या 00068 के गाटा सं0 531 रकवा 1.983 हैक्टे0 भूराजस्व अनुसार 531 में से रकवा 0.810 हैक्टे0 भूमि को अकृषिक भूमि इस शर्त के साथ घोषित किया जाता है कि यदि उपरोक्त भूमि पर भविष्य में कृषि कार्य होना पाया जाा है तो कृषि भूमि मानकर भूराजस्व इत्यादि योजित कर दिया जोयगा। तहसील अतरौली की जांच आख्या दिनांक 07.07.2013 इस आदेश का अंग रहेगी। उपरोक्तानुसार भूराजस्व खाते से कम किया जावे। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी होवे। राजस्व अभिलेख खतौनी में इस आदेश का इन्द्राज वर्षानुवर्ष किया जाता रहेगा। आदेश की एक प्रति तहसीलदार अतरौली व उपनिबन्धक अतरौली को भेजी जावे। अनुपालन के उपरान्त पत्रावली संचित की जावे।

दिनांक – 22.07.2013

(राजपाल सिंह)
उपजिलाधिकारी/सहा0कले0प्र0श्रेणी
अतरौली, अलीगढ़